प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 20.01.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 296 वाहनों से 3,27,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 20.01.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 296 वाहनों से 3,27,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान

- ***जनपद के समस्त थानों द्वारा 67 स्थानों पर 1360 व्यक्तियों को किया गया चेक ।***
- ***825 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया ।***
- ***41 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही ।***
- ***64 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया ।***

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 12 स्थानों पर 205 व्यक्तियों को चेक किया गया, 175 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 09 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 08 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 02. थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 147 व्यक्तियों को चेक किया गया, 49 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 07 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 03. महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा 06 स्थानों पर 120 व्यक्तियों को चेक किया गया, 70 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 08 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 04. थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 15 स्थानों पर 230 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 156 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 10 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 15 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 05. थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 18 स्थानों पर 215 व्यक्तियों को किया गया, 185 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 15 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 15 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 06.थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 118 व्यक्तियों को चेक किया गया, 20 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 01 शोहदें से माफीनामा भरवाया गया 07. थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 160 व्यक्तियों को चेक करते हुए 50 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 07 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई, 02 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 08. थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 02 स्थानों पर 125 व्यक्तियों को चेक किया गया, 85 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 09. थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 03 स्थानों पर 40 व्यक्तियों को चेक किया गया, 35 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 05 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान

- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 60 स्थानों पर 2386 वाहनों को किया गया चेक।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 95 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 06 चार पहिया वाहनों से उतरवायी गयी काली फिल्म।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 03 चार पहिया वाहन पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 04 जाति सूचक शब्द पर की गयी कार्यवाही*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 1558 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी।*

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी यातायात *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 20.01.2026 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है। जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप हत्या के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास व 01 लाख 35 हजार रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 20.01.2026 को *माननीय न्यायालय जिला जज, संतकबीरनगर* के सत्र न्यायाधीश श्री मोहनलाल विश्वकर्मा द्वारा हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास अवधि व 01 लाख 35 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

*घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 29.03.2013 को वादी मुन्ना लाल पुत्र रामबहाल निवासी टिकुई कोल चौबे थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना महुली पर प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 28 .03.2013 को शाम करीब 7:00 बजे उनके भतीजे वीर के मोबाइल फोन पर किसी व्यक्ति का फोन आया जिसके उपरान्त व घर से कही चला गया था। दिनांक 29.03.2013 को वादी अपने भतीजे के गायब होने की सूचना थाने पर देने आ रहे थे कि गांव के उत्तर पूर्व तरफ बेचू चौबे के गेहूं के खेत में उनके भतीजे का शव पड़े होने की जानकारी प्राप्त हुई। घटना स्थल पर उनके भतीजे को अज्ञात व्यक्ति द्वारा निर्मम तरीके से ईट एवं नुकीले चीज से मारकर उसकी हत्या कर दी गई एवं पहचान छुपाने के लिए हत्यारें द्वारा शव के ऊपर तेजाब भी डाला गया था। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना महुली पर मु0अ0सं0 150/2013 धारा 147/148/149/302/34/201/120बी/ भा0द0वि0 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री विजय कुमार पाण्डेय के द्वारा सम्पादित की गयी थी।

*सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 150/2013 धारा 147/148/149/302/34/201/120बी/ भा0द0वि0 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त जितेन्द्र चतुर्वेदी पुत्र हरिशंकर निवासी टिकुई कोल चौबे थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को मा0 न्यायालय द्वारा धारा 5302/34 भा0द0वि0 के तहत सश्रम आजीवन कारावास व 01 लाख रु0 के अर्थदण्ड, धारा 201/34 भा0द0वि0 के तहत 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रु0 के अर्थदण्ड, धारा 120 बी0 भा0द0वि0 के अपराध में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।

 जनपद संतकबीरनगर, सराहनीय कार्य- ऑपरेशन कन्विक्शन

हत्या के आरोपी अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित करते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं 01 लाख 35 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

* श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “Operation Conviction” के दृष्टिगत जनपद संतकबीरनगर में गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप मा0 न्यायालय जिला जज द्वारा हत्या के आरोपी अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित करते हुए अभियुक्त को सश्रम आजीवन के कारावास एवं ₹1,35,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है*।
विवरण निम्नवत है:-
दिनांक 29.03.2013 को वादी मुन्ना लाल पुत्र रामबहाल निवासी टिकुई कोल चौबे थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना महुली पर प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 28 .03.2013 को शाम करीब 7:00 बजे उनके भतीजे वीर के मोबाइल फोन पर किसी व्यक्ति का फोन आया जिसके उपरान्त व घर से कही चला गया था। दिनांक 29.03.2013 को वादी अपने भतीजे के गायब होने की सूचना थाने पर देने आ रहे थे कि गांव के उत्तर पूर्व तरफ बेचू चौबे के गेहूं के खेत में उनके भतीजे का शव पड़े होने की जानकारी प्राप्त हुई। घटना स्थल पर उनके भतीजे को अज्ञात व्यक्ति द्वारा निर्मम तरीके से ईट एवं नुकीले चीज से मारकर उसकी हत्या कर दी गई एवं पहचान छुपाने के लिए हत्यारें द्वारा शव के ऊपर तेजाब भी डाला गया था। थाना महुली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 150/2013 धारा 147/148/149/302/34/201/120बी/ भा0द0वि0 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त जितेन्द्र चतुर्वेदी पुत्र हरिशंकर निवासी टिकुई कोल चौबे थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को मा0 न्यायालय द्वारा धारा 5302/34 भा0द0वि0 के तहत सश्रम आजीवन कारावास व 01 लाख रु0 के अर्थदण्ड, धारा 201/34 भा0द0वि0 के तहत 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रु0 के अर्थदण्ड, धारा 120 बी0 भा0द0वि0 के अपराध में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।

डिजिटल पुलिसिंग की ओर बड़ा कदम: संतकबीरनगर पुलिस द्वारा पुलिस कर्मियों को दिया जा रहा यक्ष ऐप का व्यापक प्रशिक्षण
अपराध नियंत्रण और निगरानी को मिलेगा नया आयाम
हर बीट अधिकारी बनेगा डिजिटल वेरिफिकेशन का सशक्त माध्यम
यक्ष ऐप से गांव–गांव तक सटीक निगरानी

आज दिनांक 20.01.2026 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा लॉन्च किए गए यक्ष ऐप का थाना स्तर पर व्यापक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला थाना बखिरा व थाना बेलहरकला पर आयोजित की गयी।

यह प्रशिक्षण जनपदीय मास्टर ट्रेनर

कम्प्यूटर आपरेटर श्री अहमद रज़ा एवं प्रभारी डीसीआरबी उ0नि0 श्री उमेश उपाध्याय द्वारा थाना बखिरा एवं बेलहरकला के समस्त उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल एवं बीट आरक्षियों को यक्ष ऐप के तकनीकी पहलुओं, ग्राम/मोहल्लों के जिओ टैगिंग, डाटा अपडेटेशन, अपराधियों की स्थिति एवं उनकी प्रभावी निगरानी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रत्येक बीट पुलिस अधिकारी को उनके बीट क्षेत्र के गांवों के सत्यापन, अपराधी सत्यापन एवं ऐप के व्यवहारिक उपयोग का विशेष प्रशिक्षण दिया गया।

यक्ष ऐप के माध्यम से संतकबीरनगर पुलिस अब और अधिक तेज़, पारदर्शी एवं तकनीक-सशक्त पुलिसिंग की ओर अग्रसर है। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा श्री सतीश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला श्री अनिल कुमार, थानों के कंप्यूटर ऑपरेटर व हेड मुहर्रिर/कांस्टेबल मुहर्रिर मौजूद रहे।

#UPPolice #SantKabirNagarPolice #YakshApp #DigitalPolicing #SmartPolice #CrimeControl #TechForSafety